संख्या-4/2026/129-2026-57-1099-57-2025

प्रेषक,

लक्ष्मण राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
धर्मार्थ कार्य निदेशालय,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

धर्मार्थ कार्य अनुभाग लखनऊ : दिनांक 20 फरवरी, 2026

विषय:- **जनपद मीरजापुर में विन्ध्यांचल स्थित त्रिकोणीय क्षेत्र में माँ विन्ध्यवासिनी मंदिर, माँ अष्टभुजा मंदिर, माँ कालीखोह मंदिर के परिक्रमा पथ तथा उस पर अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु भूमि क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, मीरजापुर के पत्र संख्या-827/धर्मार्थ कार्य/त्रिकोण योजना-2025, दिनांक 11.12.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद मीरजापुर में विन्ध्याचल स्थित त्रिकोणीय क्षेत्र में माँ विन्ध्यवासिनी मंदिर, माँ अष्टभुजा मंदिर, माँ कालीखोह मंदिर के परिक्रमा पथ एवं उस पर अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु परियोजनान्तर्गत आने वाले ग्रामों की भूमि तथा परिसम्पत्तियों की जद में पड़ने वाली सम्पत्तियों की आंकलित धनराशि रू0 5893.00 लाख की स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिलाधिकारी, मीरजापुर द्वारा जनपद मीरजापुर में त्रिकोणीय क्षेत्र, माँ विन्ध्यवासिनी मंदिर माँ अष्टभुजा मंदिर, माँ कालीखोह मंदिर के परिक्रमा पथ तथा उस पर अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु पूर्व में उपलब्ध करायी गयी पृथक-पृथक योजनाओं को एक साथ सम्मिलित कर त्रिकोण परिक्षेत्र में स्थित मां विन्ध्यवासिनी मंदिर, मां कालीखोह मंदिर व मां अष्टभुजा मंदिर को जाने वाले त्रिकोणीय परिक्रमा पथ तथा उस पर अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं चौड़ीकरण परियोजनान्तर्गत निजी भूमि एवं परिसम्पत्तियों की जद में पड़ने वाली सम्पत्तियों को क्रय किये जाने हेतु सम्यक् विचारोपरान्त आंकलित की गयी धनराशि रू0 5893.00 लाख (रूपये अट्ठावन करोड़ तिरानबे लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये शासनादेश सं0-20-2025-2007-57-1099-44-2023 दिनांक- 26.08.2025 द्वारा निर्गत की गयी धनराशि रू0 1880.59 लाख को समायोजित कर अवशेष धनराशि रू0 4012.41 लाख को

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

एकमुश्त अवमुक्त किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध-</u>

(1) प्रशा0 विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 के शासनादेश दिनांक 21 नवम्बर,2017 एवं शासनादेश दिनांक 10 मार्च,2021 की व्यस्थानुसार एकमुश्त बजट व्यवस्था से धनराशि स्वीकृति के संबंध में बजट मैनुअल के प्रस्तर-94 के अन्तर्गत सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(5) प्रशा0 विभाग द्वारा भूमि क्रय के सम्बन्ध में राजस्व विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत नियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) वित्तीय स्वीकृति के संबंध में वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27 मार्च,2025 का अनुपालन किया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

(8) स्वीकृत धनराशि का आहरण वर्तमान वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च , 2026 से पूर्व समर्पित किया जायेगा।

(9) स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/ डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(10) जिलाधिकारी, मीरजापुर द्वारा भूमि क्रय के सम्बन्ध में राजस्व विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत नियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति पर सहमति जिलाधिकारी, मीरजापुर द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के लिए जिलाधिकारी, मीरजापुर स्वयं उत्तदरदायी होंगे।

(12) जिलाधिकारी, मीरजापुर द्वारा वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) स्वीकृत की गयी धनराशि का आहरण निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदधारक द्वारा कोषागार वाराणसी/लखनऊ से किया जायेगा। आहरण के उपरान्त धनराशि जिलाधिकारी, मीरजापुर को उपलब्ध करायी जायेगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 40,12,41,000 (रुपये चालीस करोड़ बारह लाख इकतालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या**-084, **लेखा शीर्षक**-4250008001000 जनपद मीरजापुर में त्रिकोणीय क्षेत्र, मॉ विन्ध्यवासिनी मंदिर, मॉ अष्टभुजा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

मंदिर, मॉ काली खोह मंदिर के परिक्रमा पथ एवं जन सुविधा स्थलों को विकसित किया जाना **मानक मद**-60 भूमि क्रय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न **संख्या-E-5-174-X-2025-26-दिनांक:12-2-2026** मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

लक्ष्मण राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-4/2026/129-2026-57-1099-57-2025, तद् दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
3- आयुक्त, विन्ध्यांचल धाम मण्डल, मीरजापुर।
4- जिलाधिकारी, वाराणसी/मीरजापुर/लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी/मीरजापुर/लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5 उ0प्र0 शासन।
7-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

लक्ष्मण राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।